[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या 5 एच०एल०ए०

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 53 की उप–धारा (5) में, विद्यमान "जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "जो भी बाद में हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 53 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जिस व्यक्ति के खिलाफ किसी शिकायत की जांच की जाती है, न्याय के हित में, उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। जांच पूरी करने और ग्राम निधि के नुकसान, बर्बादी या दुरुपयोग का आकलन करने के लिए उचित समय की आवश्यकता होती है। इसलिए, ग्राम निधि के नुकसान, बर्बादी या दुरुपयोग के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को जारी किए जाने वाले नोटिस की समय अवधि को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि उन्हें अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जा सके।

अतः यह विधेयक है।

कृष्ण लाल पंवार,
विकास एवं पंचायत मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 12 मार्च, 2025

डॉ सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 12 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 से उद्धरण

53(1) to (4) xxxxxxxx

(5) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुये भी, किसी भी व्यक्ति से, कोई हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन होने से छह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके सरपंच अथवा पंच किसी भी स्थिति हो, न रहने के दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जो भी पहले हो, यह स्पष्ट करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी कि क्यों न उससे किसी हानि को पूरा करने की अपेक्षा की जाए ।

(6) xxxxxxxx

11717—H.V.S.—H.G.P.—Pkl.